

No. 4-10(56j)/2024-HR-II

Dated 15.07.2025

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालयों के निदेशक/प्रमुख

विषय:- एफआर 56 (जे)/(एल) एवं सीसीएस 2021 के नियम 42 के तहत कर्मचारियों की समीक्षा करने के उपरांत मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

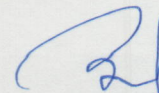
महोदया/महोदय,

सीएसआईआर के पत्र सं. 5-1(727)/2020-PD दिनांक 11.07.2024 में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.06.2024 के पैरा 6 में निर्धारित प्रारूप में मांगे गए उपर्युक्त विषय वस्तु पर मासिक (Monthly) रिपोर्ट एवं डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.06.2025 द्वारा त्रैमासिक (Quarterly) रिपोर्ट भेजने का निदेश हुआ था जिसके क्रम में परिषद् मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कई प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा भेजे जाने वाले FR 56 (j) के मासिक एवं त्रैमासिक डेटा में त्रुटियाँ/कमियाँ पायी जा रही है। FR 56 (j) के मासिक एवं त्रैमासिक डेटा हेतु प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा मुख्यालय को जो डेटा उपलब्ध कराये जा रहे हैं उनकी प्रयोगशाला/संस्थान स्तर पर अच्छी तरह से जाँच नहीं किये जाने के कारण निम्नलिखित कमियाँ पायी जा रही हैं:-

1. मासिक डेटा में सीएसआईआर के पत्र सं. 4-10(56-J)/2024-HR-II दिनांक 06.02.2025 का अनुपालन नहीं होना।
2. मासिक डेटा में पिछले माह का डेटा (repeated) प्रदान कर देना।
3. मासिक/त्रैमासिक डेटा में Group wise A/B/C के डाटा को पृथक-पृथक न देकर merge करके दे देना।
4. त्रैमासिक डेटा के कॉलम में No. of employees retired में FR 56 (j) के माध्यम से retired होने वालों की संख्या न अंकित कर superannuation employees की संख्या अंकित कर देना।
5. त्रैमासिक डेटा के योग में previous 03 months के डेटा के योग का समावेश (inclusion) नहीं होना, अपितु कुछ अन्य ही डाटा दे देना।

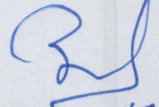
उपरोक्त कमियों/त्रुटियों को पूरा करने हेतु मुख्यालय द्वारा प्रयोगशालाओं/संस्थानों से सम्पर्क (ई-मेल एवं दूरभाष) करने पर अनावश्यक समय व्यतीत होता है जिससे कि DoPT, New Delhi को रिपोर्ट भेजने में अनावश्यक विलम्ब होता है जिससे कि मुख्यालय को असमंजस स्थिति (embarrass situation) का सामना करना पड़ता है। इस मामले को सक्षम प्राधिकारी ने बड़ी ही गम्भीरता से लिया है और Advisory

Page 1 of 2


15/7/2025

जारी करने का निदेश दिया है कि समस्त प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से अपने संस्थान में FR 56 (j) के मासिक एवं त्रैमासिक डेटा अपने स्तर पर अच्छी तरह से जाँच कर पूर्ण रूप से उचित एवं सही-सही रिपोर्ट मुख्यालय को ई-मेल के माध्यम से अपने हस्ताक्षर एवं सील सहित समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया करें, जिससे कि DoPT को समय पर/समय से पहले रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


15/7/2025
(आलोक शर्मा)
उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. उप सचिव (एचआर-1), सीएसआईआर मुख्यालय
3. उप सचिव (सीओ), सीएसआईआर मुख्यालय
4. हेड आई.टी.-सीएसआईआर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।